3 .स्वामी एतदद्वारा किराया–किश्त केता को किराया–किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया– किश्त केता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का सम्पत्ति के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4- यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगे और किराया–किश्त केता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा

(10)

<u>अनुसूची–</u> 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड–11 के सभी व्यवसायिक भूखण्ड जिसकी संख्या 2D/COM-01 एवं भूमि का क्षेत्रफल 4316.45 व०मी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है :

उत्तर–पूर्व कालिन्दी पार्क	उत्तर–पूर्व 70.55 मीटर
दक्षिण–पश्चिम 30.00 मीटर चौड़ी सड़क	दक्षिण–पश्चिम 61.30 मीटर
पूर्व–दक्षिण 45.00 मीटर चौड़ी सड़क	पूर्व–दक्षिण 65.80 मीटर
पश्चिम–उत्तर भूखण्ड संख्या 2D/COM-02	पश्चिम–उत्तर 65.75 मीटर

इस किराया किश्त कय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से **श्री बी०के०सिंह,सहायक आवास आयुक्त** ने तथा आवटी **मेसर्स संजर बिल्डर्स** एण्ड **कशट्रक्शन्स प्रा०लि० द्वारा श्री शहीर अहमद पुत्र श्री अनीस अहमद** आशयिता 2D/COM-1 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये है।

कमशः 13 पर

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आवंटी
For Sanjar Builders And Constructions Pvt.Ltd
Director